UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

"REPORT OF MASSIVE AWARENESS CAMPAIGN BASED ON THE NALSA (LEGAL SERVICES TO THE VICTIMS OF DRUG ABUSE AND ERADICATION OF DRUG MENACE) SCHEME, 2015"

ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND

FROM 01ST JANUARY, 2024 TO 15TH JANUARY, 2024

It is kindly submitted that as directed by Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, various legal awareness programmes and other similar activities on the topic of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace are required to be carried out in the State of Uttarakhand by the effective and collaborative efforts of all the concerning stakeholders, so as to illegal activities of drug trafficking and drug abuse amongst the youth, children and adults of the state of Uttarakhand may be restricted.

In this regard, it is kindly submitted that though there are various Laws, Rules, Government Policies and Schemes for the welfare, rehabilitation and social re-integration of the drug abusers. However, victims of drug abuse are not aware of these welfare laws and schemes. Therefore, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority is of the view that a massive awareness campaign is required to make aware and provide better future life opportunities to the drug abuser and drug addicted persons in the State of Uttarakhand.

Furthermore, it is kindly submitted that National Legal Services Authority has also formulated a schemes namely; NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015.

In this context, it is kindly submitted that having considered the aforesaid proposal, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was pleased to approve to conduct **"Massive Awareness Campaign based on the NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015" in the State of Uttarakhand from 01st January, 2024 to 15th January, 2024.**

In order to make the aforesaid campaign a success, following directions were issued to all the District Legal Services Authorities:-

(i) Secretaries, DLSAs shall make endeavour to personally attend, as maximum as possible, programmes under this campaign.

(ii) Secretaries, DLSAs shall personally and regularly monitor each activity to be conducted under this campaign in an effective manner.

(iii) Legal Awareness Programmes and camps shall be conducted in Schools and Colleges (Private and Government), Children and Observation Homes, Drug De-addiction and Rehabilitation Centres and Jails of the District wherein students, youth generation and inmates shall be sensitized about ill-effects of Drug Abuse and Drug Menace and children shall also be made aware about the NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015.

(iv) DLSAs, in coordination with the concerning stakeholders, shall make visits in the Drug De-addiction and Rehabilitation Centres and shall ensure that no such centres are being illegally operated.

(v) Awareness materials such as; Pamphlets shall also be got printed for its distribution to the needy persons.

(vi) Awareness Rally of School's Children shall be organized.

(vii) Radio Talk Shows, Television Interviews and Nukkad Natak shall be organized on harmful effects of drugs and means to curb the same.

(viii) Drawing/Slogan/Essay Competition shall be conducted in Schools and top three winners of each category shall be felicitated by the DLSA.

(ix) Wider and adequate publicity of this campaign shall be ensured through Local T.V. Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform.

(x) Regular uploading and updation of the news with photographs shall be made on the Facebook Pages of DLSAs to spread out the awareness.

(xi) District Legal Services Authority shall ensure that during the aforesaid campaign, the whole district (rural and urban) shall be covered.

(xii) All the DLSAs shall ensure the valuable coordination and active participation of the following stakeholders to make this Drive a grand success:-

- District Administration;
- Police Administration;
- Social Welfare Department;
- Home Department;
- Medical and Health Department;
- Education Department;
- Women and Child Welfare Department;
- Narcotics Control Bureau.

In order to make the aforesaid awareness campaign a grand success and in order to ensure the compliance of the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, the aforesaid Awareness Campaign was successfully organized by the District Legal Services Authorities in their districts in association with all the concerning stakeholders.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities relating to the said campaign, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

Name of the District	No. of awareness programmes /camps organized in schools & Colleges (Private & Govt.)	No. of Students attended these programmes /camps	No. of awareness programmes /camps organized in Children and Observation Homes	No. of inmates attended these programmes/ camps	No. awareness programmes/ camps organized in Drug De-addiction & Rehabilitation Centres	No. of inmates attended these programmes /camps	No. of awareness programmes /camps organized in Jails.	No. of inmates attended these programmes /camps
Almora	05	2,654	02	12	01	-	02	378
Bageshwar	75	2,598	-	-	-	-	02	80
Chamoli	19	2,174	-	-	-	-	02	272
Champawat	04	148	-	-	02	30 (Approx.)	04	116
Dehradun	198	7,637	04	415	02	55	01	400
Haridwar	02	200	04	83	02	50	03	500
Nainital	65	6,102	04	53	09	478	02	170
Pauri Garhwal	01	150	02	09	02	130	02	157
Pithoragarh	23	1,800 (Approx.)	02	19	01	-	09	166
Rudraprayag	28	736	-	-	-	-	02	72
Tehri Garhwal	05	410	-	-	-	-	02	205
U.S. Nagar	14	1,041	01	18	05	520	02	1,850
Uttarkashi	09	705	-	-	01	10	01	60
TOTAL	**448**	**26,355**	**19**	**609**	**25**	**1,273**	**34**	**4,426**

Name of the District	No. of Visits made in Drug De-addiction & Rehabilitation Centres	No. of Rallies organized	No. of Radio Show organized	No. of Television Interviews conducted	No. of Nukkad Natak organized	No. of Essay/Drawing/ Slogan competition organized	No. of programmes /camps personally attended by the Secretary, DLSA	Total No. of persons benefitted by this campaign
Almora	01	05	02	01	06	67	12	17,200
Bageshwar	-	08	-	-	-	04	04	826
Chamoli	01	05	-	-	-	03	07	21
Champawat	02	04	-	02	04	01	06	1,354
Dehradun	02	92	-	-	18	104	12	11,187
Haridwar	02	01	-	-	-	03	03	1,763
Nainital	05	10	03	01	-	07	12	11,003
Pauri Garhwal	02	01	01	01	01	-	06	1,113
Pithoragarh	01	02	-	-	02	25	12	7,000
Rudraprayag	-	05	-	-	04	05	04	526
Tehri Garhwal	-	07	-	-	-	05	06	1,766 (Approx.)
U.S. Nagar	05	37	01	-	01	04	13	3,450
Uttarkashi	01	-	-	-	01	-	06	2,000 (Approx.)
TOTAL	**22**	**177**	**07**	**05**	**37**	**228**	**103**	**59,209**

It is kindly submitted that as per the District-wise reports mentioned in the above table, it is found that during the aforesaid Awareness Campaign, **total 526 awareness programmes including camps were organized** *(448 in Schools & Colleges, 19 in Children and Observation Homes, 25 in Drug-De-addiction and Rehabilitation Centres and 34 in Jails)* **and around 32,663 persons attended these awareness programmes/camps** *(26,355 in Schools & Colleges, 609 in Children and Observation Homes, 1,273 in Drug-De-addiction and Rehabilitation Centres and 4,426 in Jail)*. Apart from this, **340 awareness programmes/camps/stalls were also organized in rural areas, urban areas and local fairs, wherein, around 34,770 persons attended these awareness programmes/camps/stalls.**

Therefore, total 866 awareness programmes including camps and stall were organized in the State of Uttarakhand by all the District Legal Services Authorities and their concerning stakeholders during the period of this campaign and around 67,433 persons attended these activities.

Furthermore, it is kindly submitted that total 22 visits were made in Drug De-addiction and Rehabilitation Centres, 177 Awareness Rallies, 12 Radio show including Television Interviews, 37 Nukkad Nataks, 228 Essay/Drawing/Slogan Competitions were organized. Total 103 programmes/camps/stalls were personally attended by the Secretaries of DLSAs. Total, 59,209 persons were benefitted by this awareness campaign.

During the aforesaid Awareness Campaign, public including students, youth generation, adults and inmates were made aware and sensitized about ill-effects of Drug Abuse and Drug Menace and also

about the NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015. Public were also made aware about the illegal activities of drug trafficking. Apart from this, medical health check-up camps were also organized by some of the DLSAs, wherein, medicines were distributed to the public at free of cost. Medical counselling were also conducted by some of the DLSAs. During this campaign, common masses were administered the oath about "Nashamukti" by the DLSAs. Informative materials like; pamphlets, Saral Kannuni Gyan Mala books, etc. were also distributed to the public. Moreover, public were also made aware about the Cyber Crime, POCSO Act, Rights of Women, Senior Citizens, and Children and other valuable laws.

It is kindly submitted that during the aforesaid 15 days of Campaign, valuable coordination and active participation were provided by the District Administration, Police Administration, Social Welfare Department, Medical and Health Department, School and College Administration, Women and Child Development Department and all other concerning stakeholders.

In order to make this campaign a grand success, all the District Legal Services Authorities made wider publicity of the aforesaid 15 days of campaign through Local T.V., Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform. Information and news were also being uploaded on the Facebook Page of the DLSAs.

* * * * *

नशा मुक्ति जागरूकता अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर के द्वारा
नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान

रसायन विज्ञान प्रयोगशाला

" विकसित भारत भाषण प्रतियोगिता "

"विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर"
आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
में आपका हार्दिक स्वागत है।
"SANKALPA : NASHAMUKT DEV BHOOMI UTTARAKHAND"

FACULTY OF LAW, S.S.J CAMPUS, ALMORA
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
में आपका हार्दिक स्वागत है।
"SANKALPA : NASHAMUKT DEV BHOOMI UTTARAKHAND"

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-चमोली
SHOT ON OPPO

भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखण्ड

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वा
विधिक जागरूकता कार्यक्रम
PLV :- भगवती प्रसाद

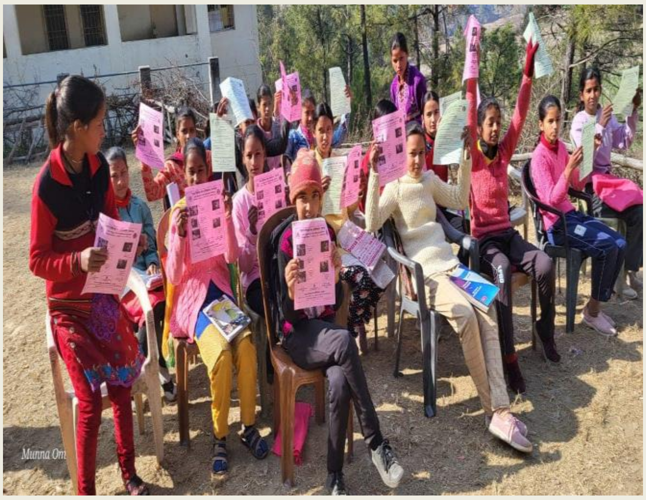

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
में आपका हार्दिक स्वागत है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा
पैरा लीगल वालिन्टियर
क्षेत्र/स्थान-
दिनांक-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल
के सौजन्य से आयोजित
"विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर"
में

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल
के सौजन्य से आयोजित
"विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर"
में
आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
पौड़ी गढ़वाल
द्वारा आयोजित
विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर
टोल फ्री नं0 : 1800-180-4000

नैनीताल में नशा उन्मूलन रैली निकाली

नैनीताल में नशा उन्मूलन को लेकर जागरूकता बाइक रैली निकालते पुलिस कर्मी • जागरण

जासं, नैनीताल: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की अध्यक्ष जिला जज सुजाता सिंह के निर्देशन में नशा उन्मूलन अभियान के अंतर्गत जिला मुख्यालय में विधिक जागरूकता बाइक रैली निकाली गई।

इस दौरान नशे से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं एवं नशा उन्मूलन योजना 2015 के बारे में जागरूक किया गया। गुरुवार को रैली तल्ली ताल से माल रोड होते हुए मल्लीताल, फिर तल्लीताल में संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने नशे के दुष्प्रभाव तथा नशा उन्मूलन से संबंधित पंपलेट बांटे। पुलिस कर्मी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक कार्यकर्ता की ओर से पंपलेट वितरित कर नशे के दुष्प्रभाव एवं उस से संबंधित दंडात्मक प्रावधान के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। रैली में तल्लीताल थाना प्रभारी रमेश सिंह बोहरा, एसआइ राजकुमारी, एसआइ संदीप सिंह नेगी, शिवराज राणा, अमित गहलोत, चनीराम, राजकुमार व स्वयंसेवक यशवंत कुमार, अंबिका, ऋतु आर्य उपस्थित रहे।

डीएलएसए के तहत जिले में नशा मुक्ति अभियान जारी

आज समाचार सेवा

अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले में गत एक जनवरी से शुरू हुआ वृहद नशा मुक्ति अभियान जारी है जोकि 15 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश व प्राधिकरण के जिला अध्यक्ष श्रीकांत पांडे के मार्गदर्शन में यह आयोजन हो रहा है।

डीएलएसए सचिव शचि शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से नालसा (नशा पीडतिों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 की विस्तृत जानकारी साझा की जा रही है। साथ ही स्कूल कॉलेजों में लग रहे जागरुकता शिविरों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव के साथ ही नशा मुक्ति के संबंध में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान जागरुकता रैली निबंध स्लोगन ड्राइंग प्रतियोगिताएं नुकड़ नाटक आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पराविधिक कार्यकताओं के माध्यम से एनडीपीएस कानून, 1985 ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून, 1940 की जानकारी जागरुकता पुस्तिकाएं भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अभियान तहसील विधिक सेवा समिति रानीखेत द्वाराहाट भिकियासैंण के स्तर से भी चल रहा है। इधर शनिवार को अभियान के तहत बाल सम्प्रेषण गृह में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर आयोजित किया गया। इसमें स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही कानूनी जानकारी दी गई। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव शचि शर्मा ने विशेष तौर पर जानकारी दी। जिले के राजकीय बालिका गृह किशोरी शिशु सदन में भी जागरुकता एवं स्वास्थ्य चिकित्सीय शिविर आयोजित किया जाएगा।

जारी हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का वृहद नशा मुक्ति जागरुकता अभियान

एस एस कपकोटी खबर का असर

अल्मोड़ा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्री श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.01.2024 तक समस्त जनपद अल्मोड़ा में वृहद नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर से नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों में विधिक जागरुकता शिविर लगाकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव एवं नशा मुक्ति के संबंध में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए जागरुकता पैम्फ्लेट वितरित किये जा रहे हैं, साथ ही स्कूली बच्चों व कॉलेज के बच्चों की जागरुकता रैली, निबंध स्लोगन, ड्राइंग प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक आदि का भी आयोजन किया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत पराविधिक कार्यकताओं के माध्यम से एनडीपीएस कानून, 1985 ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून, 1940 की जानकारी जागरुकता पुस्तिकाएं बांटकर भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार तहसील विधिक सेवा समिति रानीखेत, द्वाराहाट, भिकियासैंण द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज बाल सम्प्रेषण गृह में जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा वहां उपस्थित व्यक्तियों को उक्त विषय के संबंध में जागरुक भी किया गया। इस अभियान के तहत राजकीय बालिका गृह किशोरी अल्मोड़ा, शिशु सदन, अल्मोड़ा में जागरुकता एवं स्वास्थ्य चिकित्सीय शिविर आयोजित किया जाएगा।

नशामुक्ति और साइबर क्राइम को लेकर किया जागरूक

सरकारी विभाग व स्कूलों तक पहुंच रहा प्राधिकरण

नई टिहरी, 7 जनवरी (स.ह.): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आईटीआई नई टिहरी में नशामुक्ति और साइबर अपराध को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 15 जनवरी तक नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्ति पर विशेष अभियान चला हा है। जिसके तहत शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, निगमों और सामुदायिक केंद्रों पर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नशे की प्रवृति को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। कहा भांग, अफीम की खेती को रोकने के साथ ही नशे के आदी हो चुके पीडितों के पुनर्वास के लिए भी प्राधिकरण कार्य कर हरा है।

शिविर मे छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध, आन लाइन फ्राड, सोशल मीडिया फ्राड की भी जानकारी दी गई। साइबर अपराध होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 सहित पुलिस को जानकारी दें। इस मौके पर मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता रतन मणि थपलियाल, राजपाल सिंह मियां, कुलदीप रावत आदि मौजूद रहे।

अल्मोड़ा/बागेश्वर

नशामुक्ति अभियान के तहत निकाली रैली

एसएसजे परिसर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हुआ आयोजन

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : एसएसजे परिसर के विधि संकाय तथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को नशामुक्ति अभियान के तहत रैली निकाली गई। इसके बाद हुई विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने नशे के दुष्परिणामों पर चर्चा की। साथ ही नशामुक्ति के लिए आगे आने का आह्वान किया गया।

रैली में विधि संकाय के छात्र-छात्राओं के साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिकों ने हिस्सा लिया। रैली के बाद हुई विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि नशा जहां लोगों में सोचने व समझने की शक्ति को कम करता है, वहीं शरीर पर भी इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने लोगों से नशा सेवन से कोसों दूर रहने का आह्वान किया। विधि संकाय के विभागाध्यक्ष डा. एके पंत ने नशामुक्ति के संबंध में सामाजिक दायित्वों की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर प्रो. डीके भट्ट, प्रो. अरशद हुसैन, प्रो. जेएस बिष्ट, प्रो. एके नवीन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शची शर्मा, डा. डीपी यादव, डा. दलबीर लाल, डा. पीएस बोरा, डा. फरहा, दीपा, डा. प्रियव्या, डा. पुष्पेश जोशी, डा. वंदना टम्टा, डा. अवनीश कुमार, डा. भोला सिंह रावत, राकेश पांडे, आनंद सिंह बिष्ट, गौरव बिष्ट, भुवन जोशी, जगदीश बिष्ट आदि ने हिस्सा लिया।

अल्मोड़ा में नशामुक्ति अभियान के तहत रैली निकाली गई और एसएसजे विवि के विधि संकाय में छात्र-छात्राओं की गोष्ठी हुई• जागरण

विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ किया जागरूक

जासं, अल्मोड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने को प्रेरित किया गया।

विधि संकाय में लगे शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शचि शर्मा ने कहा कि समाज को नशे से बचाने के लिए छात्र-छात्राओं को जागरूकता बहुत अधिक जरूरी है। उन्होंने बताया कि पहली से 15 जनवरी तक जिले में वृहद नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को नशे से बचाव को प्रेरित करने की पहल की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने छात्र-छात्राओं को नालसा (नशा पीड़ितों को नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, एनडीपीएस एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून आदि की जानकारी दी। कहा कि छात्र खुद यहां से लिए हुए ज्ञान को आगे भी बढ़ाएं। विभागाध्यक्ष डा. एके नवीन ने मानसिक और शारीरिक संकट पैदा करने वाली नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में छात्र-छात्राओं को बताया। इस दौरान पैरा लीगल वालिंटियर भावना तिवारी और नीमा बिनवाल समेत विधि शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

छात्राओं ने नशा मुक्ति रैली निकाली

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दून के राजकीय बालिका इंटर कालेज राजपुर रोड में एनएसएस की स्वयं सेवकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में हर्ष यादव सचिव, वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिविर में उपस्थित एनएसएस स्वयं सेवकों को भारतीय संविधान के सरकार व न्यापालिका संबन्धी प्रावधान, दून में नशे की समस्या, नशे के विभिन्न प्रकार व नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध आदि के संबन्ध में जानकारी दी। एएनटीएफ देहरादून के निरीक्षक रविन्द्र सिंह ने भी जनपद देहरादून में नशे की समस्या, नशे के प्रसार को रोकने के संबन्ध में पुलिस द्वारा उठाये जा रहे कदमों के संबन्ध में जानकारी दी। शिविर में उपस्थित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के कार्यो, नालसा पोर्टल, नालसा स्कीम, नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100, प्रतिकर योजनाओं आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

■ शिविर में छात्राओं को दी संविधान और अन्य विषयों की जानकारी

शुभी खन्ना ने नशे के दुष्प्रभाव पर कविता पाठ भी किया। नशे के दुष्प्रभाव विषय पर पेंटिग प्रतियोगिता भी आयोजित करने के साथ ही एनएसएस स्वयं सेवकों के माध्यम से राजपुर रोड पर नशा मुक्ति विषय पर रैली भी आयोजित की गई।

शिविर में कार्यक्रम अधिकारी कविता सिंह रोहिला, सहायक कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी देवली, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के त्रिलोचन जोशी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन व संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के पराविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत ने किया

विधिक जागरूकता शिविर लगाया

देहरादून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा परिवहन विभाग देहरादून के सहयोग से आरटीओ परिसर में एक विधिक जागरूकता साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हर्ष यादव सचिव वरिष्ठ सिविल जज ने नशे की समस्या, नशे के विभिन्न प्रकार एवं नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध, यातायात संबंधी अपराध के प्रभाव आदि के संबंध में जानकारी दी। शिविर में उपस्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज, राजपुर रोड की प्रतिभागी छात्राओं की सड़क सुरक्षा, यातायात नियम विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

जागरूकता अभियान 15 तक

शाह टाइम्स संवाद्दाता

अल्मोड़ा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शचि शर्मा ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा को जनपद में नालसा (कानूनी सेवाओं के पीड़ितों के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं के उन्मूलन) योजना 2015 के तहत 15 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान 01 जनवरी, 2024 से 15 जनवरी, तक चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली की आरे से नालसा (कानूनी सेवाओं के पीड़ितों के लिए नशीली दवाओं के दुरूपयोग और नशीली दवाओं के उन्मूलन) स्कीम 2015 का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों विधिक जागरूकता शिविर लगाकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव एवं नशा मुक्ति के सम्बन्ध में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता पम्पलैट वितरित किये जा रहे है, साथ ही स्कूली बच्चों व कॉलेज के बच्चों की जागरूकता रैली, निबन्ध स्लोगन, ड्रांइग प्रतियोगिताये, नुक्कड़ नाटक आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत पराविधिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से एनडीपीएस कानून, 1985 ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून, 1940 की जानकारी जागरूकता पुस्तिकाएं बांटकर भी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार अभियान तहसील विधिक सेवा समिति रानीखेत, द्वाराहाट, भिकियासैंण द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत आज बाल सम्प्रेषण गृह में जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित लोगों को उक्त विषय के सम्बन्ध में जागरूक भी किया गया। इस अभियान के तहत राजकीय बालिका गृह किशोरी अल्मोड़ा, शिशु सदन, अल्मोड़ा में जागरूकता एवं स्वास्थ्य चिकित्सीय शिविर आयोजित किया जाएगा।